संख्या:-18/2026/आई-1238638/001-82आ0-23-5002-002-3-2026
(कम्प्यूटर संख्या-2021327)

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 **लखनऊ: दिनांक 14 फरवरी, 2026**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा के आवासीय भवनों के अनुरक्षण मद के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के विशेष मरम्मत सम्बन्धी 02 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित तालिका में उल्लिखित पत्रों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक "आवासीय भवनों के अनुरक्षण मद" के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के विशेष मरम्मत सम्बन्धी 02 कार्यों हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 19.79 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष धनराशि **रू0 06.85 लाख (रू0 छः लाख पच्चासी हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता(भवन, लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	840बीजीबी/112बीजीबी/1212/मध्य क्षेत्र/आवा0/25-26, दिनांक-02.02.2026	रायबरेली	रायबरेली के राजकीय कर्मचारी के टाईप-बी के आवास संख्या बी-36(मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवास) में विशेष मरम्मत का कार्य।	09.62	03.35
2	839बीजीबी/112बीजीबी/95/मध्य क्षेत्र/आवा0/25-26, दिनांक-02.02.2026	रायबरेली	रायबरेली के राजकीय कर्मचारी के टाईप-ए के आवास संख्या-ए-1(प्रधान न्यायाधीश आवास) में विशेष मरम्मत का कार्य।	10.17	03.50
			योग:-	**19.79**	**06.85**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों –

1- प्रश्नगत कार्यों हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

5- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय, जिससे कास्ट रन ओवर/टाइम रन ओवर की स्थिति उत्पन्न न हो।

6- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

9- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

10- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

11- प्रस्तावानुसार स्वीकृत कार्य हेतु आंकलित लागत में सम्मिलित लेबर सेस तथा जी0एस0टी0 आदि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षकों में जमा की जायेगी।

12- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

14- विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 6,85,000 (रू0 छः लाख पच्चासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 055 लेखा शीर्षक 2216070530500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शेषनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-18/2026/आई-1238638/001-82आ0(1)-23-5-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, रायबरेली, उ0प्र0।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

9- मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- मुख्य अभियंता(मध्य क्षेत्र), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
12- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रायबरेली।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
सुभाष राम
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।